न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

अर्जेन्ट वाद सं0 –16/2023 धारा 144 द0प्र0स0

शिव नारायण यादव वगैरह बनाम देवलाल यादव

आदेश

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

13/05/023

अभिलेख उपस्थापित।

यह वाद आवेदक के आवेदन पत्र के आधार पर यह प्रकिया प्रारम्भ किया गया है।

भूमि का विवरण निम्नप्रकार है :–

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	चौहदी			
				उ0	द0	पु0	प0
बिलैतीखैर	38	166	0.15 ए0	नीज प्र0प0	रास्ता	रामधनी महतो	रोड़
		155	0.16 ए0	मो0 क्यूम	कनछदी	मो0 क्यूम	मो0 क्यूम
		167	0.61 ए0	हरि महतों	नीज प्र0प0	रामधनी महतों	राम बेलास सिंह
		176	0.91 ए0	नीज प्र0प0	नीज प्र0प0	रामधनी महतों	राम बेलास सिंह

प्रथम पक्ष का कथन है कि उक्त भूमि बिलैतीखैर में स्थित है। हाल सर्वे खाता सं0– 38 की प्लॉट संख्या कमशः 166, 155, 167, 176 रकबा की भूमि कमशः 0.15 ए0, 0.16 ए0, 0.61 ए0, 0.91 ए0 कुल रकबा– 1.83 ए0 है। उक्त हाल सर्वे खतियान में खाता सं0– 38 में 1. मुस्मात धुनिया 2. मुस्मात मंगरी पति– दिलीप महतों 3. अंश समान एवं 4. फुलकुरी 5. फुलबसिया तीनों पिता– स्व0 दिलीप महतों 3 अंश समान दर्ज हुआ है। दिलीप महतों के दो पत्नि व तीन बेटिया थी। यह भूमि दिलीप यादव की भूमि थी, जिनके पत्नी व बेटी के नामें हाल सर्वे में भूमि दर्ज हुआ। क्योकि सर्वे के वक्त दिलीप यादव का स्वर्गवास हो चुका है। खतियानी रैयत मुस्मात

धुनिया से एक पुत्री फुलकुरी देवी थी। फुलकुरी का विवाह शिवनारायण यादव से हुआ था। जो इस वाद में प्रथम पक्षकार है। मुस्मात घुरिया का 1 अंश व फुलकुरी देवी का एक अंश 2 अंश फुलकुरी का हुआ क्योकि मुस्मात घुनिया की मृत्यु के बाद बेटी फुलकुरी का ही उसका हिस्सा मिल गया है। खतियानी रैयत मुस्मात मंगरी की दो पुत्री 1 फुलबसिया 2. फुलवा हुई। मुस्मात मंगरी का 1 अंश व दोनों फुलबसिया का 1 अंश व फुलवा का 1 अंश मां के बाद दोनों पुत्रियों का $1\frac{1}{2}$ अंश व $1\frac{1}{2}$ अंश हुआ। इन बहन का विवाह एक ही लड़का स्व0 देववंश यादव से हुई थी। फुलवा देवी से कोई संतान नहीं हुआ। एक पत्नी फुलबसिया देवी से पॉच पुत्र पुत्र हुए। चतर्गुन यादव 2. प्रेमसागर यादव 3. शिवसागर यादव 4. गिरवर यादव 5. रामप्यारी यादवइ स प्रकार स्पष्ट है कि मुस्मात मंगरी का एक वंश व फुलवा देवी (नावल्द) का एक अंश फुलबसिया देवी के पॉच पुत्रों का मिल गया। इस प्रकार 2 अंश नानी व मौसी वाला एक अंश वाला इन पॉचों को मिला। इस प्रकार इस सम्पूर्ण खतियानी भूमि का 60 प्रतिशत भाग इन पॉचों को मिला एवं 40 प्रतिशत भाग शिवनारायण यादव प्रथम पक्ष क0 1 को मिला। द्वितीय पक्ष 1. देवलाल यादव 2. मुखलाल यादव दोनों पिता स्व0 रामऔतार यादव 3. रामाधार यादव पिता– स्व0 रामधनी यादव किसी प्रकार से खतियानी रैयत के वंशज नहीं है। प्रथम पक्ष की पुस्तैनी खतियानी रैयती भूमि है। जिसका ऑनलाईन मांग पंजी 2 के पृष्ठ सं0– 38/1 पर मुस्मात धुनिया, मुस्मात मंगरी, फुलकुरी, फुलबसिया व फुलवा के नाम दर्ज है। प्रथम पक्षकार मालगुंजारी रसीद सरकार को अदा करते आ रहे है। प्रथम पक्ष का अनुरोध है कि इस वाद में जारी निषेधाज्ञा सम्पुष्ट करने की कृपा की जाय। द्वितीय पक्षकार के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। इस वाद धारा 144 द0प्र0स0 की प्रकिया समाप्त हो गई। वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

13.5.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

Digitally signed by RUDRA PRATAP
Date: 2023.11.27 11:38:40 +05:30
Location: 192.168.223.152